बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0 संख्याः– 3/अ0प्र0–01–238/13 2854/पटना, दिनांक :– 11.11.24

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत शीर्ष 3054 (M/R) के तहत शकुराबाद हजामपुर पथ से पंडौल तक पथ मरम्मति कार्य की कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध शकुराबाद हजामपुर पथ से पंडौल तक पथ मरम्मति कार्य के बदले उसी नाम से अन्य पथ की मरम्मति कराने के कारण हुई वित्तीय क्षति एवं पथ का मरम्मति कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1217 अनु0 दिनांक 06.06.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री पासवान के पत्रांक 01 दिनांक 31.07.17 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र को अद्यतन संशोधित विहित प्रपत्र में गठित कर विभागीय पत्रांक 2468 दिनांक 26.08.2019 द्वारा उनसे पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गई।

3. श्री पासवान द्वारा पत्रांक 07 दिनांक 21.09.2019 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि शकुराबाद–हजामपुर–मुड़हारा की ओर से पोखवा मोड़ से लगभग पंडौल मोड़ तक 900 मी0 में मरम्मति कार्य कराया गया क्योंकि मुड़हारा की ओर से पोखवा मोड़ तक के पथांश की स्थिति ठीक थी एवं माननीय विधायक द्वारा शकुराबाद–हजामपुर पथ में मरम्मति की अनुशंसा की गयी थी जिसका ही अंश उक्त 900 मी0 का पथांश है, जिससे आगे मुड़हारा ग्राम तक पथ जाता है। माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित शकुराबाद–हजामपुर पथ में मुड़हारा की ओर से पथांश की स्थिति ठीक रहने के कारण पोखवा मोड़ से लगभग पंडौल मोड़ तक 900 मी0 की लंबाई में मरम्मति कार्य विशिष्टि के अनुरूप एंव एकरारनामा की शर्तों के अनुसार सम्पन्न कराया गया है।

4. श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य अभियंता–5, ग्रामीण कार्य विभाग से कराई गई। मुख्य अभियंता–5 द्वारा मामले की समीक्षोपरान्त यह मंतव्य अंकित किया गया कि "कार्य जिस नाम से स्वीकृत हुआ था उसके सही नामाकरण में संबंधित अभियंताओं द्वारा त्रुटि की गई थी। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व श्री पासवान को योजना के नाम का संशोधन कराते हुए सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी। इसप्रकार श्री पासवान के विरूद्ध कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही एवं असावधानी का आरोप को प्रमाणित माना जा सकता है।"

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि शकुराबाद–हजामपुर मुख्य पथ से एक पथ निकलकर पंडौल ग्राम तक जाता है। माननीय तदेन विधायक श्री अभिराम शर्मा द्वारा इसी पथ की मरम्मति हेतु अनुशंसा की गयी थी। विभाग द्वारा आवंटन भी इसी पथ के नाम से दिया गया था। जबकि यह पथ काफी पूर्व से ही कच्चा है तथा मरम्मति की श्रेणी में नहीं आता है। कार्य प्रमंडल जहानाबाद द्वारा उक्त पथ के बदले उसी नाम से शकुराबाद–हजामपुर पथ के पोखमा मोड़ से पंडौल मोड़ तक 900 मी0 लम्बाई में मरम्मति कार्य करा दिया गया। कार्य जिस नाम से स्वीकृत हुआ था उसके सही नामकरण में त्रुटि की

गई थी। कार्य प्रंभ करने से पूर्व श्री पासवान को योजना के नाम को संशोधित कराते हुए सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी। इसप्रकार श्री पासवान के विरूद्ध कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही का आरोप प्रमाणित होता है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पासवान के विरूद्ध निंदन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित)के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2011–12)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/11/24

(डॉ0 फातेह फैयाज)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–238/13 2854 /पटना, दिनांकः– 11.11.24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/11/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–238/13 2854 /पटना, दिनांकः– 11.11.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–01–238/13 2854 /पटना/दिनांकः– 11.11.24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल औरंगाबाद/मधुबनी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद/बेनीपट्टी/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– 3/अ0प्र0–01–238/13 2854 /पटना/दिनांक:– 11.11.24

प्रतिलिपि:– श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–238/13 2854 /पटना/दिनांक:– 11.11.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–238/13 2854 /पटना/दिनांक:– 11.11.24

प्रतिलिपि :– आई॰टी॰ मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in